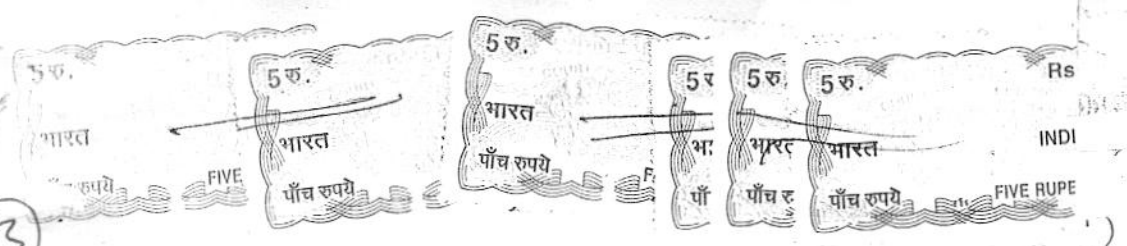

(83)

न्यायालयः समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक –I/2015 निगरानी श्योपुर

1–रमेश पुत्र मथुरा सहर
2–मुन्ना पुत्र मथुरा सहर
3–छोटू पुत्र मथुरा सहर आदिवासी, निवासीगण ग्राम आवदा तह.कराहल जिला श्योपुर म.प्र.

.....आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

1–मध्य–प्रदेश शासन
2–रामसिंह 3–सुगन 4–नारू पुत्रगण अस्सू जाति सहर आदिवासी निवासी ग्राम भोजना तह.कराहल जिला श्योपुर म.प्र.

.....अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 30.11.2015 पारित न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला श्योपुर म.प्र. के प्रकरण कमांक 11/13–14/निगरानी के विरूद्व।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य :– यह कि ग्राम कैलोर तहसील कराहल की भूमि सर्वे नम्बर 591/1 रकबा 1.620 हे., सर्वे कं. 592 रकबा 0.439 हे. सर्वे कं. 593 रकबा 0.930 कुल किता 03 कुल रकबा 2.989 हे. मे आवेदकगण करीबन 15–20 वर्षो से निरन्तर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है और अपने कब्जों के आधार पर श्रीमान तहसीलदार महोदय, कराहल के द्वारा प्र.कं. 80/12'–13/अ–6 आदेश दिनांक 09.07.2013 से आवेदकगणों को भूस्वामी स्वत्व पर नामान्तरण स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय कराहल ने विधिवत प्रकरण दर्ज करते हुऐ इश्तहार ज़ारी किया गया, कब्जे के सम्बंध में कब्जे के सम्बंध मौजा पटवारी से प्रमाणीकरण लिया और तब जाकर विधिवत कब्जा सिद्व पाये जाने पर आवेदकगण के हित में विधिवत जॉच करते हुऐ आलोच्य आदेश से नामान्तरण किया है। उक्त भूमि को आवेदकगण द्वारा श्रम व धन खर्च करके कृषि योग्य बनाया गया है किन्तु अनावेदक कं. 2, 3, 4 रामसिंह वगैराह ने एक झूठे तथ्यों के आधार पर कलेक्टर महोदय को उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु दिनांक 08.09.14 को आवेदन पेश किया है। जिस पर से अपर कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर ने

कमंशः.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4018–एक/15 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री वीर सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 11/2013–14/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.11.15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना	